कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
इटावा प्रखण्ड निचली गंगा नहर, इटावा

अति अल्पकालीन निविदा सूचना सं0 16/अ0अ0/2016-17

महामहिम राज्यपाल, उत्तर प्रदेश की ओर से निम्नलिखित कार्यो के सम्पादन हेतु मुहरबंद निविदायें सिंचाई विभाग मे निर्धारित श्रेणी में पंजीकृत ठेकेदारों से दिनॉक 24.03.2017 को अपराह्न 2:00 बजे तक कार्यालय अधिशासी अभियन्ता,इटावा प्रखण्ड निचली गंगा नहर, इटावा में आमन्त्रित की जाती है जो दिनॉक 24.03.2017 को अपराह्न 3:30 बजे अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय कक्ष में निविदा समिति द्वारा खोली जायेगी। कार्यालय बन्द होने अथवा अवकाश होने की दशा मे यह निविदायें अगले कार्य दिवस मे उसी समय खोली जायेगी । निविदा प्रपत्र दिनॉक 22.03.2017 एवं 23.03.2017 की सायं 5:00 बजे तक किसी भी कार्यदिवस में अधिशासी अभियन्ता, इटावा प्रखण्ड निचली गंगा नहर, इटावा, अधिशासी अभियन्ता, कानुपर प्रखण्ड निचली गंगा नहर कानपुर एवं सिंचाई खण्ड औरैया के कार्यालयों में पंजीकरण एवं उत्तर प्रदेश शासन सिंचाई विभाग-3 के शासनादेश सं0 560/07-27-सिं.-3 08टी /84 दिनांक 20.02.2007 द्वारा निर्धारित आई0डी0टी0-1, आई0डी0टी0-2 के प्रारूप पर ही जिलाधिकारी द्वारा निर्गत चरित्र प्रमाण-पत्र (I D T-1) व हैसियत प्रमाण पत्र (I D T-2) एवं स्वघोषणा प्रमाणपत्र (I D T-3) की मूल प्रतियां प्रस्तुत करके तथा I D T-1, I D T-2, I D T-3 की सत्यापित प्रतियॉ,पंजीकरण की सत्यापित प्रति तथा श्रम विभाग के पंजीकरण की सत्यापित प्रति ठेकेदार या उसके अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा प्रपत्र का निर्धारित मूल्य जमा कर निविदा प्रपत्र क्रय किये जा सकेंगे। अधिकृत प्रतिनिधि को ठेकेदार द्वारा प्रदत्त अधिकार पत्र जिसमें प्रतिनिधि का हस्ताक्षर प्रमाणित किया हुआ हो, जमा करना होगा, तत्पश्चात् ही अधिकृत प्रतिनिधि निविदा प्रपत्र का निर्धारित मूल्य देकर निविदा प्रपत्र प्राप्त कर सकेंगे।

धरोहर धनराशि राष्टीयकृत एन0एस0सी0/एफ0डी0आर0 अथवा नियमानुसार अनुमन्य अन्य प्रतिभूति के रूप में जो कि अधिशासी अभियंता, इटावा प्रखण्ड निचली गगां नहर, इटावा के पक्ष में बंधक होगी, स्वीकार की जायेगी। बिना धरोहर धनराशि के एवं सशर्त निविदाओं पर विचार नही किया जायेगा। बैंक गारन्टी धरोहर धनराशि के रूप में मान्य नहीं होगी। एक या समस्त निविदाओं को बिना कारण बताये निरस्त करने का पूर्ण अधिकार अधोहस्ताक्षरी को होगा।

कार्य का विवरण

क्र. सं.	कार्य का विवरण	अनुमानित लागत (लाख रू0मे)	धरोहर धनराशि (लाखरू0मे)	कार्य की अवधि	निविदा का मूल्य	ठेकेदार की श्रेणी
1	2	3	4	5	6	7
1	ताखा निरीक्षण भवन के परिसर मे इन्टरलॉकिंग का कार्य	32.00	3.20	एक माह	300+14.5% VAT	बी या उच्च श्रेणी

निविदा व शर्ते :-

1. रू0 100.00 के नान-जूडिशियल स्टैम्प पेपर पर एक रूपये की रसीदी टिकट लगाकर अनुबंध लिखना होगा कि दरें 90 दिवस तक मान्य होगी। इससे पहले निविदा/ऑफर वापस लेने पर धरोहर धनराशि जब्त कर ली जायेगी। नियमानुसार देय बिक्रीकर, आयकर, स्टैम्प ड्यूटी, रायल्टी देनी होगी। अनुबंध के समय नियमानुसार स्टैम्प ड्यूटी तथा जमानत की शेष 10 प्रतिशत धनराशि धरोहर धनराशि को सम्मिलित करते हुये जमा करना होगा।

2. यह निविदा सूचना बेवसाइट (http.//upgov.up.nic.in/infotech) तथा सिंचाई विभाग की बेवसाइट (http.//irrigation.up.nic.in) (www.idup.gov.in) पर उपलब्ध है। निविदा प्रपत्र सिंचाई विभाग के बेवसाइट (http.//irrigation.up.nic.in) (www.idup.gov.in) से भी डाउनलोड की जा सकती है। किन्तु इसकी लागत अधिशासी अभियन्ता, इटावा प्रखण्ड निचली गंगा नहर, इटावा के नाम राष्ट्रीयकृत बैंक से निर्गत ड्राफ्ट के रूप में निविदा प्रपत्र के साथ I D T-1, I D T-2, I D T-3 व अन्य प्रपत्र /अभिलेखों के साथ डाउनलोड की जा सकती है। किन्तु इसकी लागत अधिशासी अभियन्ता, इटावा प्रखण्ड निचली गंगा नहर, इटावा के नाम राष्ट्रीयकृत बैंक से निर्गत ड्राफ्ट के रूप में निविदा प्रपत्र के साथ I D T-1, I D T-2, I D T-3 व अन्य प्रपत्र /अभिलेखों के साथ संलग्न किया जाना अनिवार्य होगा। बेवसाइट से डाउनलोड कर प्राप्त किये गये निविदा प्रपत्र और सम्बन्धित कार्यालयों में बिक्री के लिये उपलब्ध निविदा प्रपत्र में यदि कोई भिन्नता हो तो संबंधित कार्यालयों में उपलब्ध निविदा प्रपत्र ही मान्य होंगे। निविदा प्रपत्र सिंचाई विभाग की बेवसाइट (http.//irrigation.up.nic.in)/ (www.idup.gov.in) पर डाउनलोड न हो सकने की स्थिति में निविदा सूचना में उल्लिखित अन्य निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप ही निविदा प्रपत्र क्रय एवं जमा किये जायेंगे।
3. कोई भी निविदादाता जो राज्य सरकार द्वारा काली सूची में दर्ज हो, वह निविदा प्रक्रिया मे भाग नही ले सकेगा।
4. राज्य बार कौसिंल में पंजीकृत कोई भी अधिवक्ता निविदा प्रक्रिया में भाग न ले सकेंगे। अनुबन्ध गठित होने के बाद भी यदि उक्त तथ्य संज्ञान में आता है, तो समाधान एंव संतुष्टि की दशा में ऐसे अनुबन्ध को सक्षम अधिकारी द्वारा सकारण प्रख्यापित कर तत्काल निरस्त कर दिया जायेगा।
5. एक निविदादाता केवल एक ही निविदा खरीद व डाल सकेगा।
6. यदि कोई भी निविदादाता निर्धारित विधि एंव प्रक्रिया के विरूद्व अनुबंध करने हेतु सक्षम प्राधिकारी पर दबाव/असम्यक असर डालता है, तो प्रश्नगत निविदादाता के न्यूनतम बोली की स्थिति में भी उसकी निविदा निरस्त की जा सकती है।
7. यह संज्ञान में आने पर कि कोई निविदादाता द्वारा किसी अन्य सम्भावित निविदादाता को उसे निविदा प्रक्रिया में भाग लेने एंव निविदा डालने से रोकता है या धमकी दी गयी हो तो ऐसे ठेकेदार के साथ यदि अनुबंध हो भी गया हो, तो उसके साथ किया गया अनुबंध निरस्त किया जा सकता है।
8. निविदा प्रपत्र रजिस्टर्ड डाक/मान्यता प्राप्त कोरियर के माध्यम से क्रय/जमा करने के इच्छुक पंजीकृत ठेकेदारो द्वारा निविदा प्रपत्र का मूल्य भेजकर प्राप्त कर सकेंगे तथा प्रत्येक प्रकार से पूर्ण व सील्ड निविदा को इसी प्रकार रजिस्टर्ड डाक/मान्यता प्राप्त कोरियर सेवा द्वारा खण्डीय लेखाकार / कैशियर को उनके हस्ताक्षर प्राप्त कराके (निविदा प्राप्त होने के प्रमाणक में) प्राप्त करायी जायेगी, जो प्राप्त निविदाओं को तत्काल एक रजिस्टर में पंजीकृत करेंगे, जिसमें निविदा प्राप्ति का समय व दिनांक आदि अंकित करके सम्बन्धित उपखण्डीय / खण्डीय अधिकारी को समय से सूचित करेंगे ताकि अन्य निविदाओं के साथ इस प्रकार प्राप्त निविदाओं को भी निविदा खुलने के पूर्व निविदा बॉक्स में डाला जा सके। प्रतिबन्ध यह रहेगा कि रजिस्टर्ड डाक/मान्यता प्राप्त कोरियर सेवा द्वारा कार्यालय को प्रेषित निविदायें निविदा प्राप्त करने की निर्धारित तिथि से एक कार्य दिवस पूर्व ही प्राप्त की जायेगी। रजिस्टर्ड डाक / मान्यता प्राप्त कोरियर सेवा के विलम्ब के कारण यदि कोई निविदा विलम्ब से प्राप्त होता है, तो उसका उत्तरदायित्व विभाग का नही होगा।

9. चरित्र प्रमाण पत्र, हैसियत प्रमाण पत्र व स्वघोषणा प्रमाण पत्र के फर्जी या गलत पाये जाने पर निविदा निरस्त कर दी जायेगी तथा सम्बन्धित ठेकेदार का नाम इस कारण तत्काल संविदा काली सूची मे दर्ज करा दिया जायेगा।
10. प्राप्त सभी निविदा प्रपत्रों मे पहले यह परीक्षण किया जायेगा कि निविदादाता ने IDT-1 IDT-2, IDT-3 तथा निर्धारित प्रतिभूति धनराशि ठीक–ठीक उपलब्ध करायी है, या नही। इनमें किसी प्रकार की कमी या असन्तोषजनक होने की स्थिति में निविदादाता द्वारा दी गयी दरें तुलनात्मक विवरण में अंकित नही की जायेंगी।
11. अपरिहार्य कारणों से या कार्यस्थल की परिस्थितियों के अनुसार अनुबन्ध गठित करने अथवा न करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी के पास सुरक्षित रहेगा।इसके लिये ठेकेदार/फर्म का कोई भी क्लेम मान्य नहीं होगा।
12. निविदा प्रक्रिया में भाग लेने से पूर्व कार्य एवं कार्यस्थल के बारे में भली भॉति परिचित हो लें।
13. निविदा कार्य की लागत एवं मात्रा घटाने एवं बढाने का पूर्ण अधिकार अधोहस्ताक्षरी का होगा।
14. प्रश्नगत कार्य को कराने के लिये इसी प्रकृति के लगभग इसी धनराशि के कार्यो का अनुभव अनिवार्य है ।
15. निविदादाता द्वारा विभागीय लागत से कम लागत की निविदा डालने की दशा मे शासनादेश संख्या 622/23.12.2012–2–आडिट/08 टी0सी0–2 दिनॉक 08.06.2012 के अनुसार 10 प्रतिशत तक न्यूनतम दरें (Beolw Rates) प्राप्त होने पर 0.50 प्रतिशत प्रति 1 प्रतिशत कम दर पर तथा 10 प्रतिशत से अधिक न्यूनतम दरों पर (Beolw Rates) 1.00 प्रतिशत प्रति 1 प्रतिशत कम दर पर परफोरमेंस गारण्टी की अतिरिक्त धरोहर धनराशि जमा करने के उपरान्त अनुबन्ध गठित किया जायेगा । निविदादाता द्वारा उक्त धनराशि जमा न करने पर उसकी धरोहर धनराशि जब्त कर ली जायेगी । बेवसाइट मे ड्राइंग उपलब्ध न होने की स्थिति मे संबंधित अधिशासी अभियन्ता के कार्यालय मे देख सकेगे ।

<u>Additional Conditions to be made part of the General Conditions of contract.</u>

1. If any person whosoever is found actively associated with Mafia & unsocial elements or engaged in organized crime or is a Mafia Mafioso is disqualified from bidding.
2. Even if it comes to knowledge after award of a contract that the contractor is associated with Mafia and unsocial elements or engaged in organized crime or is a Mafia of Mafioso, the contract will be cancelled after serving a show cause notice & if the contractor is found repeating the same, then the proceeding of black listing him shall also be initiated.
3. If it is found that contractor or bidder has thretened the other bidder or prevented them from bidding the tender / contract will be cancelled.
4. Any advocate registered in state bar counsil will not be authorised for bidding, if it comes in knowledge that contractor is a state or bar council registered advocate, the contract will be cancelled after having been satisfied of this fact.

अधिशासी अभियन्ता,
इटावा प्रखण्ड,निचली गंगा नहर, इटावा